Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/22	[illegible] वाद/परिवाद/प्रार्थना पत्र/प्रतीक्षा पेश हुआ [illegible] जावे। प्रतिवादी [illegible] / रजि० डाक नोटिस [illegible] 10/8/22 को पेश हो। [signature] सहायक [illegible] अधिकारी, औरैया	
10/8/22	पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण को रजि० डाक नोटिस जारी हो। [illegible] वास्ते हाजिरी दिनांक 6/9/22 को पेश हो। [signature] सहायक [illegible], औरैया	
6/9/22	पत्रावली पेश। प्रतिवादीगण को भेजे गए सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 3, व 5 की ओर Adv. रामकिशोर औरैया ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं 4 को न्यायालय समक्ष में तीन बार आवाजें लगायी उपस्थित नहीं। प्रतिवादी सं 4 विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रतिवादी Adv ने वाद स्वीकार हेतु सहमति जाहिर की।	वाद स्वीकार है [illegible] 6/9/22 [signature] / सहमत [illegible] [illegible]

तारीख हुक्म	
	गवाह मोहनसिंह, मैनासिंह के शपथ पत्र पेश किए। बहस पश्चात् सुनी गयी बहस पर मनन किया निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसला शुदा होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी— राजकेश मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 131/2022

वादी:— हरिसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र श्री रूगसिंह, जाति राजपूत, निवासी आशापुरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:—

1. अलसीदाससिंह पुत्र श्री मानसिंह
2. खमाकंवर पत्नी श्री कानसिंह
3. दीपसिंह पुत्र श्री कानसिंह
4. मदनसिंह पुत्र श्री कानसिंह
5. लादूसिंह पुत्र श्री कानसिंह
   जातियान राजपूत, निवासी आशापुरा
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
6. श्रीमान तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

वादी की ओर से — अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 ओर से — अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा
प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक— 6/9/22

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 10.2062 हैक्टेयर ग्राम आशापुरा, व वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 567/3 रकबा 1.5135 हैक्टेयर ग्राम भैरूसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद मे आई हुई है। वादी गोविन्दसिंह का जायन्दा पुत्र है तथा श्री रूगसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह का दत्तक पुत्र है। वादी को बचपन में घर में लाड प्यार से देवीसिंह नाम से पुकारते थे इसलिए जब रूगसिंह जी द्वारा वादी को गोद लिया तथा गोद नामा निष्पादित करवाया गया उस वक्त गोदनामा में वादी का नाम देवीसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम हरिसिंह जो वादी के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, राषन कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में नाम हरिसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादी के गोद पिता रूगसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह के नाम से दर्ज थी तथा रूगसिंह जी के देहान्त होने के बाद गोद नामा में आधार पर फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 308 ग्राम आशापुरा के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवीसिंह पुत्र रूघसिंह व खसरा नम्बर 567/3 ग्राम भैरूसागर के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवीसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह दर्ज कर दिया। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम हरिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दर्ज है। वादी के राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम में अन्तर होने के

सहायक कलक्टर, ओसियां

कारण वादी को अपनी भूमि सुधार कार्य करवाने, ऋण इत्यादि लेने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 308 रकबा 10. 2062 हैक्टेयर ग्राम आषापुरा में वादी का नाम देवीसिंह पुत्र रूघसिंह के स्थान पर हरिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह व खसरा नम्बर 567/3 रकबा 1.5135 हैक्टेयर ग्राम भैरूसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में वादी का नाम देवीसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह के स्थान पर हरिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने की डिक्री सादिर फरमावें तथा राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

वादीगण का उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिषोर ओझा ने वकालात नामा पेष किया, प्रतिवादी संख्या 4 को न्यायालय समय में आवाज लगाने के बावजूद भी इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। वाद के समर्थन में भोमसिंह व नेनसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में सुधारा जाकर देवीसिंह दत्तक पुत्र रूगसहि के स्थान पर हरिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में देवीसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह गलत इन्द्राज हो रखा है जिसे सुधारा जाकर हरिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है, इसलिए वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

<u>–::आदेश::–</u>

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर खसरा नम्बर 308 रकबा 10. 2062 हैक्टेयर ग्राम आशापुरा में वादी का नाम देवीसिंह पुत्र रूघसिंह के स्थान पर हरिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह व खसरा नम्बर 567/3 रकबा 1.5135 हैक्टेयर ग्राम भैरूसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में वादी का नाम देवीसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह के स्थान पर हरिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र रूगसिंह के नाम खातेदारी घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु प्रतिवादी तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनाक 6/9/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां